नई शिक्षा नीति 2020

श्रीमती सुनील कुमारी

सहायक आचार्य हिंदी, एफ.जी.एम. राजकीय महाविद्यालय आदमपुर (हिसार)

परिचय

नई शिक्षा नीति 2020,भारत की शिक्षा पद्धति में कई बड़े बदलाव लाने वाली है | इस शिक्षा नीति में कई सारी अच्छी व उपयोगी बातें छिपी है | व साथ ही अनेक समस्याएं और चुनौतियां सामने आने वाली है | यह शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है | यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है , जिसका मसौदा मई, 2019 में प्रस्तुत किया गया था| इस शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रमुख तथ्य हमारे सामने आते हैं -

(1) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ration-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है|

(2) 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है |

(3) मानव संसाधन 'प्रबंधन मंत्रालय' का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है|

भाग-1 बुनियादी शिक्षा

(4) पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा /स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है| साथ ही मातृभाषा को कक्षा-आठ और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है |

(5) पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियमांकन की परिकल्पना की गई है |

(6) पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी, अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की शिक्षा पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा |

(7) स्कूलों में 10+2 खत्म, अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट शुरू होगा" (1): -

-"अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 व कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेट शामिल होंगे |

-इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा |

-अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा |

- इससे आगे तीन साल का स्टेज कक्षा -6 से 8 तक का होगा| -अब छठी-कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके| -व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा | -चौथा स्टेज (कक्षा -9 से 12वीं तक)4 साल का होगा, जो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित है| इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी होगी| विज्ञान या गणित के साथ अन्य विषय भी पढ़ने की आजादी होगी |"2

8.-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी -

"-साल में दो बार परीक्षण कराना, दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक, श्रेणियों में विभाजित कराना आदि

-ज्ञान परीक्षण पर जोर होगा |

- बच्चों पर अंको का दबाव और कोचिंग निर्भरता खत्म होगी, विभिन्न बोर्ड आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे |जैसे- वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं|"3

भाग -11 उच्चतर शिक्षा

"यह नीति 'उच्चतर शिक्षा प्रणाली' में आमूल-चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है |इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल है: -

(क) ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो, जहां प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर HEI ऐसे ही हो, जो स्थानीय /भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम का माध्यम प्रदान करते हैं|

(ख) और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना |

(ग) संकाय व संस्थागत की ओर बढ़ना |

(घ) शिक्षण अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता- नियुक्तियों और केरियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना|

(ड.) सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम-अनुसंधान और विश्वविद्यालयों में सक्रिय रुप में अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना|

(च) शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर- योग्य स्वतंत्र बोर्ड (HEI)द्वारा गवर्नेंस |

(छ). व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन|

(ज) उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुंच ,समता और समावेशन में वृद्धि; इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर ,वंचित व निर्धन छात्रों के लिए निजी/ परोपकार विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि; ओपन स्कूलिंग ऑनलाइन शिक्षा व

मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ODL) और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुंच |"4 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI)का उद्देश्य अपने आप को बह - विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा तथा इस नीति का उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा |

" इस प्रयोजनार्थ, सभी सरकारों और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार है: -

(क) सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम: -

(1) (SEDG) (सामाजिक- आर्थिक रूप से वंचित समूह) की शिक्षा के लिए समुचित सरकार निधि का निर्धारण |

(2) उच्चतर सकल नामांकन अनुपात (GER) तथा (SEDG) के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण|

(3) उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना |

(4) विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में SEDG लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुंच को सुधारना |

(5) स्थानीय भारतीय भाषी या द्विभाषी संस्थानों का निर्माण करना |

(6) सार्वजनिक व निजी दोनों तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में SEDG को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना |

(7) SEDG के बीच शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति का प्रचार करना|

(8) प्रौद्योगिकी का निर्माण व विकास |

(ख) सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम -

(1) लागत और शिक्षा के दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना |

(2) वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना |

(3) प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना |

(4) पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना |

(5) शिक्षा को रोजगारपरक बनाना |

(6) भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से बनाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना|

(7) सभी संबंधित इमारतें व अन्य बुनियादी सुविधाएं दिव्यांगजनों के अनुकूल हो |

(8) वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि व अन्य आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना |

(9) संकाय सदस्यों, परामर्श दाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना|

(10) भेदभाव व उत्पीड़न के खिलाफ बने नियमों को सख्ती से लागू करना |"5

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)) को 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा -

"(1) HECI का पहला अंग ' राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद' (NHERC) - यह एक सांझा व सिंगल पार्ट रेगुलेटर की तरह काम करेगा जिसमें शिक्षक - शिक्षा शामिल है किंतु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है| और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहरी व्यवस्था को समाप्त करेगा |

(2) HECI का दूसरा अंक एक 'मेटा- अक्क्रेडिटिंग' निकाय होगा, जिसे 'राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद' (NAC) के नाम से जाना जाएगा| संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियमों- कायदों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा | साथ ही यह प्रक्रिया यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी |

(3) HECI का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) का गठन किया जाएगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चत्तर शिक्षा के फंडिंग और वित्तपोषण का कार्य करेगा |

(4) HECI का चौथा विभाग ' सामान्य शिक्षा परिषद '(GEC) होगा, यह उच्चत्तर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें 'स्नातक परिणामों' के नाम से जाना जाएगा| जी ई सी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार किया जाएगा जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से संगत होगा ताकि व्यवसायिक शिक्षा को समन्वित करने में आसानी हो |"6

इस प्रकार नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी " राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" को प्रतिस्थापित करती है| यह वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है |प्रथम 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी , जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था |

इन सब की पृष्ठभूमि को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 एक बहुत अच्छी नीति है लेकिन इसके भी सकारात्मक व नकारात्मक पहलू है ,जो इस प्रकार हम समझ सकते हैं :-

1).5+3+3+4 फॉर्मेट पर आधारित प्रथम 3 वर्ष आंगनवाड़ी शिक्षा पर खर्च होंगे इसका सकारात्मक पहलू देखें तो बच्चा 3 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू करेगा लेकिन नकारात्मक पहलू यह है कि आंगनवाड़ी शिक्षा में ही 3 वर्ष निकल जाएंगे |

2).10वीं व 12वीं में 1 साल में दो बार परीक्षा होगी, एक बार वस्तुनिष्ठ, दूसरी बार व्याख्यात्मक |इसमें बच्चों के ज्ञान में तो बढ़ोतरी होगी लेकिन दोनों परीक्षाओं का अलग-अलग समय होने पर कौशलात्मक हानि होगी|

3). बहु -सत्रीय प्रवेश व निकासी सिस्टम लागू होने पर बच्चों की पढ़ाई में समय बर्बाद नहीं होगा ,पर बीच-बीच में एक छोड़कर दूसरा पाठ्यक्रम पढ़ने से गुणात्मक शिक्षा नहीं हो पाएगी|

4). विद्यार्थियों के क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' खोलने के कारण इनका रिकॉर्ड रखने व देखने में आसानी होगी|

5).3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने में दाखिला संख्या बढ़ेगी व बच्चों को घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा|

6). 2030 तक हर जिले में एक बहुत बड़ी बहु-विषयक संस्था खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी| समग्र दृष्टिकोण रखते हुए विज्ञान, गणित व कला का विभाजन न होने से विद्यार्थियों को अपने मन मुताबिक विषय चुनने में कठिनाई नहीं होगी | यह 'सब का कुछ-कुछ का सब जानने ' के सिद्धांत पर आधारित है |

(7) यूजीसी के स्थान पर H. E.C. (मेडिकल व LAW को छोड़कर) का नियंत्रण होगा |UGC, AICTE, NCTE की जगह एक ही नियामक होने के कारण शिक्षा का केंद्रीयकरण होने का खतरा मंडरा रहा है |

(8) टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटी को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति देने से शिक्षा का वैश्वीकरण होगा|

(9) अनुसंधान संस्कृति व अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना होने से विद्यार्थियों को अनुसंधान के नए मौके मिलेंगे |

(10) ऑनलाइन शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम व इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम भी क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार होगा|

(11) सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण व विकास तथा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान की स्थापना होगी | प्रचलित भाषाओं को तो संरक्षण व विकास की आवश्यकता है, लेकिन जो भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत लुप्त प्राय: हो चुकी है, उनके लिए अनुवाद संस्थान खोलना रुपए की बर्बादी है |

चुनौतियां: -

(1) 2017-18 में शिक्षा पर जीडीपी महज़ 2.7% ही खर्च हुआ, तो 2020 में एकदम से 6% कैसे खर्च होगा |

(2) ग्रॉस इनरोलमेंट रेशों 26.3% से 50% तक कैसे पहुंचेगा, इसकी योजना ही तय नहीं है |

(3) एक ही नियामक होने से शिक्षा के केंद्रीयकरण की आशंका बढ़ जाएगी |

(4) दिल्ली जैसे बहुभाषी शहर के स्कूलों में मातृभाषा को माध्यम बनाना कहां तक संभव हो पाएगा|

(5) पब्लिक स्कूल व अंग्रेजी मीडियम स्कूल मातृभाषा को किस प्रकार स्वीकार करेंगे|

(6) एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले विद्यार्थी का माध्यम क्या होगा|

(7) 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता कैसे प्रदान की जाएगी |

(8) शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को फास्टट्रैक बेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि PHD को बढ़ावा मिल सके |

निष्कर्ष:- इस प्रकार 19 ईसवी में लॉर्ड मेकाले की परिकल्पना पर बनी शिक्षा नीति के सापेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खामियों को पाटते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप है| इसमें समाहित मूल सिद्धांतों में वैचारिक समझ पर आधारित तार्किक निर्णय, नव विचार को प्रोत्साहित करने, छात्रों के समग्र विकास में शिक्षकों व अभिभावकों के योगदान, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग , शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल, नई सोच व शोध को प्रोत्साहन, सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि अतुलनीय प्रयास है|

परंतु इन सब के लिए सबको कागजी कार्यवाही तक सीमित न रह के व्यावहारिक धरातल पर कार्य करना होगा |

संदर्भ :-

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, MHRD, भारत सरकार, Page no. 8

(2) न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, करंट अफेयर्स 2020, Ravi Study IQ GK, यूट्यूब

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, MHRD, भारत सरकार page no. -53, 54

(4) वही page no. 66,67

(5) वही, page no. 76,77

About Author

श्रीमती सुनील कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, एफ.जी.एम. राजकीय महाविद्यालय, आदमपुर (हिसार)

Qualification- JBT, B. Ed., M. A., NET (1st to M. A. all study in rural area)

Hobbies-

Teaching, Reading, writing poem and prose,

Social -service.

Working Experience

1.02/05/2017 to 28/08/2019 as JBT teacher

2. 29/08/2019 to till now as Assistant Professor Hindi

Achievements

1. Certificate of achievement, Saksham Haryana (2019)

2. School Teacher' Eligibility Test certificate (Lecturer,2009)

3.School Teacher Eligibility Test (Elementary teacher, 2010)

4.Haryana Teacher Eligibility Test (primary teacher, 2011)

5. Haryana Teacher Eligibility Test (Trained graduate teacher,2011)

6.Haryana Teacher Eligibility Test (Post graduate teacher,2013)

7.National Teacher Eligibility Test (2012)

8. National Teacher Eligibility Test (2015)

* Appointed as a NSS P. O. in College from 02 dec. 2021 to till now